


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1935, 1936 / 2010.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- मै0 अग्रसेन इन्जिनियरिंग इण्ड0 लि0 जयपुर, बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड-
दस्ता- बांसवाडा, वर्तमान स0वा0क0 अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, सर्किल-बांसवाडा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुकम की तामी में जारी हुए
20.03.2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ कैम्प-जयपुर श्री मदनलाल - सदस्य</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक श्री दिनेश कुमार, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री एन के बेद, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 1935, 1936 / 2010 / जयपुर जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">  20.3.2015 (मदन लाल) सदस्य </div>	